संख्याः —/XXIV(6)/2016–31(4)/12

प्रेषकः

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) **देहरादूनः दिनॉकः 09 सितम्बर, 2016**

विषयः– कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाते में अनुदान स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–केयू/लेखा/जी0पी0एफ0/109 दिनांक 06.08.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें जी0पी0एफ0 खातों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ब्याज हेतु अनुदान स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खातों में जमा धनराशि पर अर्जित **ब्याज रू0 5,21,03,590.00/– (रू0 पॉच करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार पॉच सौ नब्बे रूपये मात्र)** की धनराशि जिसका आहरण नगद न कर, पुस्तक समायोजन के माध्यम से संबंधित कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के व्यय पर जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरांत राजकीय कोषागार नैनीताल को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी ओदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 अध्याय–16–ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(5) इस अनुदान का उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय कदापि न की जाये अन्यथा की स्थिति में समक्ष प्राधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या/मद का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय, स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–58(NP)/XXVII(3)/2016–2017 दिनांक 09.09.2016 प्राप्त उनकी सहमति एवं से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या– (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–7 के लेखा शीर्षक–2049–ब्याज अदायगियां–60 अन्य दायित्वों पर ब्याज–101 जमाओं पर ब्याज (भारित)–03–कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में) अवशेष–00–32–ब्याज/लाभांश की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संख्याः 803 (1)/XXIV(6)/2016–31(4)/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
10. वित्त अनुभाग–3 वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।